न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :- सुनिल कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या- 95/2022

वादीगण-

1. भवंराराम गोद पुत्र जोराराम
   जाति- जाट, निवासी- भावला ,तहसील-जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. जोरा राम पुत्र नेनुराम
2. शारदा पत्नि श्रवण कुमार पुत्री जोराराम
3. सोहनीदेवी पत्नि धर्माराम पुत्री जोराराम
4. सतुदेवी पत्नि रावतराम पुत्री जोराराम
5. मिठूदेवी पत्नि भुगानाराम
6. हरकूदेवी पुत्री जोराराम
   जातियान- जाट, निवासी- भावला, तहसील जायल जिला नागौर।
7. तहसीलदार जायल।

दावा बाबत बंटवाडा खेताय एवं रेकर्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :-

1. श्री शिवकुमार पाराशर अधिवक्ता वादी।
2. प्रतिवादी संख्या 7 राजपैरोकार उपस्थित

– निर्णय –

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), जायल

दिनांक : 13/8/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी भवरा राम प्रतिवादी जोराराम का गोदपुत्र है, तथा प्रतिवादीगण सं. 2 ता 6 वादीगण की बहने है, तथा प्रतिवादी जोराराम की पुत्रिया हैं। वादी व प्रतिवादीगण सभी स्व. नेनूरामजी के वारीसान है। पक्षकारों के बडेर की सह कब्ज काश्त एवं सहखातेदारी के खेताय ग्राम भावला के खेत खस.न. 259/463 रकबा 2.8004 हैक्टैयर, व ख.न. 262/464 रकबा 0.5423 हैक्टेयर आये हुये है। पक्षकारों का सुविधानुसार कब्जा काश्त है परन्तु कब्जे माफिक खातेदारी दर्ज नहीं होने से सरकारी ऋण योजनाओं मे असुविधा रहती है। इसलिय खेताय का बंटवारा ... वादी को यह वाद न्यायायलय के समक्ष पेश करना लाजमी आया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:26:39 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादी एवं प्रतिवादी के मध्य जुबानी ... माफिक बंटवाडा राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद नही होने के उपरांत ... दर्ज नहीं होने से सरकारी सुविधाओ से महरूम होने से वाद उत्पन्न होने ... लानी लाजमी आया है। वादी ... वाद पेश इस्तदुआ कि है कि माफिक वाद के फिकरा सं. 2 अनु... स्वीकार किया जाकर ... भावला के खेत ख.न. 259/463 रकबा 2.8004 हेक्टेयर सम्पूर्ण तथा ख.न. 262/464 रकबा 0.5423

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned by Scanner Go

ट्यर मे से रकबा 0.3237 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्सानुसा खातेदारी वादी ने नाम घोषित फ़रमाया जाकर सादिर डिक्री फरमाया जावे तथा माफिक डिक्री आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद बाबत तहसीलदार जायल को तहरीर जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण स. 1 ता 6 ने न्यायालय के समक्ष हाजिर आकर राजीनामा पेश किया। राजीनामा बाद तस्दीक सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं.07 का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ जो परफोर्मा पक्षकार हैं

साक्ष्य वादी में गवाह भवंरराम का शपथ पत्र पेश किया व नकल खतौनी सम्वत 2073–76 प्रदर्श 1 तथा रजिस्ट्रड गोदनामा की छायाप्रति प्रदर्श 2 कराई । आईन्दा साक्ष्य नहीं कराना चाहने पर साक्ष्य वादी बन्द की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता वादी की बहस अन्तिम सुनी गयी। वादी के अधिवक्ता ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरूक्ति करते हुये कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी पारिवारिक बंटवाडा हो गया है तथा लोक अदालत की भावना से वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादपत्र के पेरा सं. 2 में वर्णित बंटवारा स्किम अनुसार खातेदारी घोषणा की जाकर दावा डिक्री किया जाने का निवेदन किया।

वादी के अभिकथनों तथा साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत शपथ पत्र गवाहों, पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड वादपत्र राजीनामा गवाहो के शपथ पत्र व जमाबन्दी नकल सम्वत 2073–76 प्रदर्श 1 तथा गोदनामा की प्रति प्रदर्श 2 का ध्यानपूर्वक एवं वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। जिससे वादी का वाद ताहिद होती है। पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से लोक अदालत की भावना से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

– : : आदेश : : –

यत् वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादी भवंरराम के हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मौजा भावला के ख.न. 259/463 रकबा 2.8004 हेक्टेयर सम्पूर्ण तथा ख.न. 262/464 रकबा 0.5423 हैक्टेयर मे से रकबा 0.3237 हैक्टेयर पश्चिमी भाग नजरी नक्सानुसार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण स. 1 ता 6 के सयुंक्त हक बंट व सहखातेदारी में मौजा भावला के ख.न. 262/464 रकबा 0.5423 हैक्टेयर मे से रकबा 0.2186 हैक्टेयर पूर्वी भाग नजरी नक्सानुसार घोषित किया जाता है। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा जारी होकर तहसीलदार जायल को आदेश की तकमील मे तहरीर जारी हो।

(सुनिल कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक ...[illegible]... को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनिल कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:26:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by Scanner Go

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल (नागौर)
पीठासीन अधिकारी श्री– सुनिल कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 95/2022

वादीगण–

1. भवंराराम गोद पुत्र जोराराम
   जाति– जाट, निवासी– भावला ,तहसील–जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. जोरा राम पुत्र नेनुराम
2. शारदा पत्नि श्रवण कुमार पुत्री जोराराम
3. सोहनीदेवी पत्नि धर्माराम पुत्री जोराराम
4. सतुदेवी पत्नि रावतराम पुत्री जोराराम
5. मिठूदेवी पत्नि भुगानाराम
6. हरकूदेवी पुत्री जोराराम
   जातियान– जाट, निवासी– भावला, तहसील जायल जिला नागौर।
7. तहसीलदार जायल।

दावा बाबत बंटवाडा खेताय एवं रेकर्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री शिवकुमार पाराशर अधिवक्ता वादी।
2. प्रतिवादी संख्या 7 राजपैरोकार उपस्थित

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री शिवकुमार शर्मा अधिवक्ता वादीग मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या संख्या 7 राज पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –

वादी भवंराराम के हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मौजा भावला के ख.न. 259/463 रकबा 2.8004 हेक्टेयर सम्पूर्ण तथा ख.न. 262/464 रकबा 0.5423 हैक्टेयर मे से रकबा 0.3237 हैक्टेयर पश्चिमी भाग नजरी नक्सानुसार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादीगण स. 1 ता 6 के सयुंक्त हक बंट[illegible] के ख.न. 262/464 रकबा 0.5423 हैक्टेयर मे से रकबा 0.2186 हैक्टेयर पूर्वी भाग [illegible]सानुसार घोषित किया जाता है। नजरी नक्सा निर्णय एवं डिक्री आदेश का [illegible]

13/8/2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:26:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

(सुनिल कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned by Scanner Go

डिग्री – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की
तिथि में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख
31/8/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(सुनिल कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:26:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by Scanner Go